विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
(DPR)
"बुंदेलखंड में सामुदाय आधारित वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन परियोजना"

1 -संस्था का परिचय-

मानव जीवन मिशन सेवा संघ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यरत एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था है, जो पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण एवं सतत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन के स्थायी मॉडल विकसित करना है।

2-परियोजना की पृष्ठभूमि-

बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से जल संकट, घटते वनावरण, मृदा अपरदन, अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान तथा जैव विविधता में कमी जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव कृषि, भूजल, प्राकृतिक संसाधनों तथा ग्रामीण आजीविका पर पड़ रहा है।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा समुदाय आधारित संरक्षण प्रणाली की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से यह परियोजना तैयार की गई है, जिसमें स्थानीय प्रजातियों का चयन, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा ग्राम स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी गई है।

यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करते हुए बुंदेलखंड के लिए एक सतत, विस्तार योग्य हरित विकास मॉडल स्थापित करने का प्रयास है।

3-परियोजना का शीर्षक-

बुंदेलखंड में सामुदायिक आधारित वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत आजीविका संवर्धन परियोजना

यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदे लखंड क्षेत्र में घटते वनावरण, जल संकट, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता में हो रही कमी के समाधान हेतु तैयार की गई है। परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से वृक्षारोपण, पौध संरक्षण, जल संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एक स्थायी एवं हरित मॉडल विकसित करना है। प्रथम चरण में 10,000 स्थानीय, जलवायु-अनुकूल एवं बहुउद्देशीय पौधों का रोपण एवं तीन वर्षों तक संरक्षण किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन बाँदा एवं चित्रकूट जनपद के चयनित ग्राम पंचायतों, नदी तटीय क्षेत्रों, ग्राम समाज भूमि, किसानों की मेड़ों, विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। भविष्य में इस मॉडल का विस्तार चरणबद्ध रूप से 5,00,000 पौधों तक प्रस्तावित है।
परियोजना की प्रमुख गतिविधियों में आधारभूत सर्वेक्षण, स्थल चयन, गुणवत्तापूर्ण पौधों की व्यवस्था, वैज्ञानिक पौधारोपण, जल संरक्षण, पौध सुरक्षा, जियो-टैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा नियमित रखरखाव शामिल हैं। परियोजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसानों, विद्यालयों, युवाओं तथा संबंधित सरकारी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
इस परियोजना से हरित आवरण में वृद्धि, कार्बन अवशोषण, मृदा एवं जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, स्थानीय आजीविका के अवसरों में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में योगदान मिलने की अपेक्षा है। परियोजना का लक्ष्य 90% से अधिक पौध जीवितता सुनिश्चित करते हुए बुंदेलखंड के लिए एक सफल, पारदर्शी एवं दीर्घकालिक सामुदायिक वृक्षारोपण मॉडल स्थापित करना है।
यह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) सरकारी विभागों, CSR इकाइयों, वित्तीय संस्थानों एवं विकास सहयोगी संगठनों से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

4 -वर्तमान स्थिति-

उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जल संकट, अनियमित वर्षा, घटते वनावरण, मृदा अपरदन, बढ़ते तापमान तथा जैव विविधता में कमी जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन समस्याओं के कारण कृषि उत्पादकता, भूजल स्तर, प्राकृतिक संसाधन तथा ग्रामीण आजीविका निरंतर प्रभावित हो रही है।
5-प्रमुख समस्याएँ-

वनावरण एवं हरित क्षेत्र में लगातार कमी।

वर्षाजल का पर्याप्त संचयन न होना तथा भूजल स्तर में गिरावट।

मृदा अपरदन एवं भूमि की उर्वरता में कमी।

स्थानीय जैव विविधता एवं प्राकृतिक आवासों का क्षरण।

सार्वजनिक भूमि, नदी तटों एवं किसानों की मेड़ों पर वृक्षों का अभाव।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान एवं सूखे की आवृत्ति।

6-परियोजना की आवश्यकता-

उपरोक्त चुनौतियों के समाधान के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं समुदाय आधारित वृक्षारोपण कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौध संरक्षण, जल संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल निगरानी को भी समान महत्व दिया जाए।

7- प्रस्तावित समाधान-

परियोजना के अंतर्गत स्थानीय एवं जलवायु-अनुकूल वृक्ष प्रजातियों का चयन कर चयनित स्थलों पर वैज्ञानिक विधि से वृक्षारोपण किया जाएगा। पौधों के संरक्षण, नियमित रखरखाव, जियो-टैगिंग, सामुदायिक सहभागिता तथा तीन वर्षों की निगरानी के माध्यम से एक स्थायी एवं विस्तार योग्य हरित मॉडल विकसित किया जाएगा।

8-औचित्य-

यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका संवर्धन तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है।

8 (A) -परियोजना का उद्देश्य-

बुंदेलखंड क्षेत्र में वैज्ञानिक वृक्षारोपण, पौध संरक्षण एवं सामुदायिक vo सहभागिता के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना।

8(B)-विशिष्ट लक्ष्य-

प्रथम चरण में 10,000 स्थानीय एवं जलवायु-अनुकूल पौधों का रोपण।
तीन वर्षों तक पौधों का संरक्षण एवं 90% से अधिक जीवितता सुनिश्चित करना।
नदी तटीय क्षेत्रों, ग्राम समाज भूमि, किसानों की मेड़ों एवं सार्वजनिक स्थलों का हरित विकास।
ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसानों एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
GIS एवं GPS आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करना।
परियोजना मॉडल का चरणबद्ध विस्तार 5,00,000 पौधों तक करना।

8(C)- अपेक्षित परिणाम-

हरित आवरण एवं वृक्ष घनत्व में वृद्धि।
मृदा एवं जल संरक्षण क्षमता में सुधार।
स्थानीय जैव विविधता एवं प्राकृतिक आवासों का संवर्धन।
कार्बन अवशोषण एवं जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान।
पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता में वृद्धि।
बुंदेलखंड के लिए एक सतत, विस्तार योग्य एवं समुदाय आधारित वृक्षारोपण मॉडल की स्थापना।

8(D)- दीर्घकालिक प्रभाव-

परियोजना के सफल क्रियान्वयन से पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा, जैव विविधता संवर्धन तथा ग्रामीण आजीविका को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। यह मॉडल भविष्य में बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों तथा समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकेगा।

9.(A) -कार्य क्षेत्र-

परियोजना का प्रथम चरण उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के चयनित विकास खंडों में संचालित किया जाएगा।

जनपद बाँदा

नरैनी विकास खंड

बिसंडा विकास खंड

जनपद चित्रकूट

कर्वी विकास खंड

आवश्यकता एवं संसाधनों के अनुसार भविष्य में परियोजना का विस्तार बुंदेलखंड के अन्य जनपदों में भी किया जाएगा।

9(B) -प्रस्तावित रोपण स्थल-

ग्राम समाज भूमि

नदी एवं नालों के तटीय क्षेत्र

अमृत सरोवर एवं तालाब परिसर

किसानों की मेड़ एवं कृषि वानिकी क्षेत्र

विद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर

पंचायत भवन एवं सार्वजनिक संस्थान

सड़क किनारे एवं अन्य उपलब्ध सार्वजनिक भूमि

9(C) -प्रत्यक्ष लाभार्थी-

छोटे एवं सीमांत किसान

स्वयं सहायता समूह (SHGs)

ग्राम पंचायतें

विद्यालय एवं विद्यार्थी

ग्रामीण युवा एवं स्वयंसेवक

स्थानीय समुद

9(D) -अप्रत्यक्ष लाभार्थी-

परियोजना से संपूर्ण स्थानीय समुदाय, पशुधन, पक्षी एवं अन्य वन्यजीव, भविष्य की पीढ़ियाँ तथा क्षेत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिकी को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा।

9(E)-हितधारक -

परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न संस्थाओं एवं समूहों का सहयोग लिया जाएगा–

वन विभाग

सामाजिक वानिकी विभाग

ग्राम पंचायतें

कृषि एवं उद्यान विभाग

स्वयं सहायता समूह

स्थानीय किसान

शैक्षणिक संस्थान

कॉर्पोरेट (CSR) एवं विकास सहयोगी संस्थाएँ

यह बहु-हितधारक मॉडल परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, दीर्घकालिक संरक्षण तथा समुदाय आधारित स्वामित्व को सुनिश्चित करेगा।

10(A)-तकनीकी दृष्टिकोण-

परियोजना का क्रियान्वयन वैज्ञानिक वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों के चयन, जल संरक्षण, पौध संरक्षण तथा डिजिटल मॉनिटरिंग पर आधारित होगा। प्रत्येक गतिविधि राष्ट्रीय वानिकी एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

10(B) -वृक्ष प्रजातियों का चयन-

स्थानीय, जलवायु-अनुकूल एवं बहुउद्देशीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, करंज, शीशम, जामुन, बाँस, खैर, पलाश, महुआ, आम, आंवला, अमरूद, बेल, सहजन एवं नींबू शामिल हैं। विभिन्न स्थलों के अनुसार उपयुक्त प्रजातियों का चयन किया जाएगा।

10(C) -पौधारोपण एवं संरक्षण-

रोपण कार्य मानसून अवधि में वैज्ञानिक विधि से किया जाएगा। गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी, गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक पौधे

को आवश्यकतानुसार मल्चिंग, ट्री गार्ड/फेंसिंग, सिंचाई तथा नियमित रखरखाव उपलब्ध कराया जाएगा।

10(D) -जल संरक्षण उपाय-

पौधों की दीर्घकालिक वृद्धि हेतु वर्षा जल संचयन, मल्चिंग, कंटूर आधारित जल संरक्षण, सूक्ष्म जल संरचनाएँ तथा आवश्यकता अनुसार ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

10(E) -डिजिटल मॉनिटरिंग-

परियोजना के प्रत्येक रोपण स्थल का GPS आधारित Geo-tagging, फोटो प्रलेखन तथा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार GIS मैपिंग एवं ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग कर प्रगति एवं पौध जीवितता की नियमित निगरानी की जाएगी।

10(F) -गुणवत्ता एवं जीवितता रणनीति-

परियोजना में केवल प्रमाणित एवं स्वस्थ पौधों का उपयोग किया जाएगा। स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता के साथ नियमित निरीक्षण, समय पर पुनः रोपण एवं तीन वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि 90% से अधिक पौध जीवितता प्राप्त की जा सके।

11- कार्यान्वयन रणनीति एवं 36 माह की कार्ययोजना -

11(A)-कार्यान्वयन रणनीति-

परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध, वैज्ञानिक एवं सहभागी दृष्टिकोण पर आधारित होगा। प्रत्येक गतिविधि निर्धारित समय-सीमा, तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण के अनुरूप संपादित की जाएगी। परियोजना के सभी चरणों में स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

11(B) -चरणबद्ध कार्यान्वयन-

प्रमुख गतिविधियाँ

चरण-1

आधारभूत सर्वेक्षण, स्थल चयन, माइक्रो प्लान एवं अनुमतियाँ

चरण-2

पौध उपलब्धता, नर्सरी समन्वय एवं भूमि/गड्ढा तैयारी

चरण-3

वैज्ञानिक पौधारोपण, जियो-टैगिंग एवं प्रारंभिक संरक्षण

चरण-4

नियमित सिंचाई, रखरखाव, पुनः रोपण एवं सामुदायिक निगरानी

चरण-5

मूल्यांकन, सामाजिक ऑडिट, परियोजना समीक्षा एवं विस्तार योजना

7.3 36 माह की कार्ययोजना

गतिविधि

वर्ष-1

वर्ष-2

वर्ष-3

सर्वेक्षण एवं योजना

वर्ष-1

स्थल एवं पौध तैयारी

वर्ष-1

वर्ष-2

वृक्षारोपण

वर्ष-1

वर्ष-2

वर्ष-3

सिंचाई एवं रखरखाव

वर्ष-1

वर्ष-2

वर्ष-3

पुनः रोपण

वर्ष-1

वर्ष-2

मॉनिटरिंग एवं जियो-टैगिंग

वर्ष-1

वर्ष-2

वर्ष-3

मूल्यांकन एवं सामाजिक ऑडिट

वर्ष-1

वर्ष-2

वर्ष-3

अंतिम प्रभाव मूल्यांकन

वर्ष-1

11(C)- कार्यान्वयन सिद्धांत-

समयबद्ध एवं गुणवत्ता आधारित क्रियान्वयन।
स्थानीय संसाधनों एवं श्रमशक्ति का अधिकतम उपयोग।
पौध संरक्षण को पौधारोपण के समान महत्व।
डिजिटल अभिलेखीकरण एवं नियमित प्रगति समीक्षा।
प्राप्त अनुभव के आधार पर परियोजना का चरणबद्ध विस्तार।
यह कार्यान्वयन रणनीति परियोजना को निर्धारित समय, गुणवत्ता एवं अपेक्षित परिणामों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु एक स्पष्ट कार्य-ढांचा प्रदान करती है।

12. संस्थागत व्यवस्था-

12(A)-परियोजना का संचालन-

मानव जीवन मिशन सेवा संघ द्वारा संबंधित सरकारी विभागों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन पारदर्शिता, जवाबदेही एवं परिणाम-आधारित कार्यप्रणाली पर आधारित होगा।

12(B) -सामुदायिक सहभागिता-

परियोजना की सफलता स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होगी। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) किसानों, विद्यालयों एवं युवा स्वयंसेवकों को वृक्षारोपण, पौध संरक्षण, जन-जागरूकता तथा निगरानी में सहभागी बनाया जाएगा, जिससे परियोजना के प्रति स्थानीय स्वामित्व विकसित हो सके।

12(C) -प्रमुख हितधारकों की भूमिका-

हितधारक प्रमुख भूमिका
मानव जीवन मिशन सेवा संघ
परियोजना प्रबंधन एवं समन्वय
वन एवं सामाजिक वानिकी विभाग
तकनीकी मार्गदर्शन
ग्राम पंचायत

स्थानीय समन्वय एवं सामुदायिक सहयोग

स्वयं सहायता समूह (SHG)

पौध संरक्षण एवं रखरखाव

किसान

कृषि वानिकी एवं पौध देखरेख

विद्यालय एवं युवा

जन-जागरूकता एवं स्वयंसेवा

CSR/सहयोगी संस्थाएँ

वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग

12(D) -मानव संसाधन-

परियोजना के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यकता के अनुसार परियोजना निदेशक, परियोजना समन्वयक, तकनीकी सलाहकार, ब्लॉक एवं फील्ड समन्वयक, सामुदायिक प्रेरक, नर्सरी प्रभारी, डेटा एवं मॉनिटरिंग सहायक तथा वित्त एवं लेखा प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी।

12(E)-क्षमता विकास -

परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि पौधारोपण, संरक्षण, डिजिटल मॉनिटरिंग तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
यह संस्थागत ढाँचा परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी प्रबंधन तथा दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

13. -मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन एवं परियोजना की स्थिरता -

13(A) -मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन-
परियोजना की प्रगति की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक रोपण j स्थल का GPS आधारित जियो-टैगिंग, फोटो प्रलेखन तथा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। मासिक फील्ड निरीक्षण, त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं वार्षिकB मूल्यांकन के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता nएवं पौध जीवितता का आकलन किया जाएगा।

13(B)- प्रमुख प्रदर्शन संकेतक -

10,000 पौधों का सफल वृक्षारोपण।
90% या उससे अधिक पौध जीवितता।
सभी पौधों का जियो-टैगिंग एवं डिजिटल रिकॉर्ड।
सामुदायिक एवं स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी।
मृदा, जल संरक्षण एवं हरित आवरण में सुधार।
परियोजना की समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रगति।

13(C)-जोखिम प्रबंधन-

संभावित जोखिम
निवारण उपाय
कम वर्षा एवं सूखा
वर्षा जल संरक्षण, वैकल्पिक सिंचाई एवं मल्चिंग
पशुओं से नुकसान
ट्री गार्ड, फेंसिंग एवं सामुदायिक निगरानी
पौध मृत्यु
समय पर पुनः रोपण एवं नियमित रखरखाव
आग एवं प्राकृतिक आपदा
फायर लाइन, जागरूकता एवं त्वरित प्रतिक्रिया
मानवजनित क्षति
ग्राम स्तरीय निगरानी समिति एवं जनभागीदारी

13(D)- परियोजना की स्थिरता-

परियोजना की दीर्घकालिक सफलता के लिए ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों एवं स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता पर आधारित संरक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी।
नियमित प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वामित्व, स्थानीय संसाधनों का उपयोग तथा सरकारी एवं

CSR सहयोग के माध्यम से परियोजना को दीर्घकाल तक संचालित एवं विस्तारित किया जाएगा।

14 - सहभागिता -

14(A)- वृक्षारोपण परियोजना की सफलता -

किसी भी वृक्षारोपण परियोजना की सफलता केवल पौधे लगाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा प्रभावी संस्थागत व्यवस्था पर आधारित होती है। इसी उद्देश्य से यह परियोजना "जनभागीदारी आधारित हरित विकास मॉडल पर आधारित है।
परियोजना के प्रथम चरण में 10,000 पौधों का वैज्ञानिक वृक्षारोपण एवं तीन वर्षों तक संरक्षण किया जाएगा। इस पायलट मॉडल की सफलता के आधार पर इसे चरणबद्ध रूप से 25,000, 50,000 और अंततः 5,00,000 पौधों तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना का मूल मंत्र: "मेरा गाँव - मेरा वृक्ष - मेरी जिम्मेदारी"

14(B)- परियोजना का उद्देश्य-

इस परियोजना का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण करना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय को पर्यावरण संरक्षण का सहभागी एवं संरक्षक बनाना है।

प्रत्येक चयनित ग्राम में सामुदायिक स्वामित्व विकसित करना।
पौधों की सुरक्षा एवं दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करना।
स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वयंसेवा को बढ़ावा देना।
महिलाओं एवं युवाओं को नेतृत्व की भूमिका प्रदान करना।
पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देना।

14(C)-प्रमुख हितधारक -

परियोजना में निम्न संस्थाओं एवं समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी—
ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा
उत्तर प्रदेश वन विभाग एवं सामाजिक वानिकी विभाग

जिला प्रशासन

कृषि एवं उद्यान विभाग

मनरेगा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

स्वयं सहायता समूह (SHG)

किसान

विद्यालय एवं महाविद्यालय

युवा स्वयंसेवक

CSR कंपनियाँ एवं दाता संस्थाएँ

स्थानीय स्वयंसेवी संगठन

14(D)-स्वयं सहायता समूह (SHG) मॉडल

प्रथम चरण में लगभग 50 स्वयं सहायता समूहों को परियोजना से जोड़ा जाएगा।

SHG की प्रमुख भूमिकाएँ–

सामुदायिक नर्सरी संचालन

पौध वितरण

वृक्षारोपण में सहयोग

सिंचाई एवं संरक्षण

जैविक खाद निर्माण

पौध जीवितता का रिकॉर्ड रखना

मासिक प्रगति रिपोर्ट देना

SHG को संभावित लाभ

स्थानीय रोजगार

पौध उत्पादन से आय

नर्सरी प्रबंधन का प्रशिक्षण

जैविक खाद निर्माण

फलोद्यान एवं हरित उद्यम विकास

परियोजना विस्तार के साथ SHG की संख्या भी चरणबद्ध रूप से बढ़ाई जाएगी।

14(E)- ग्राम पंचायत की भूमिका-

प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत परियोजना की प्रमुख भागीदार होगी।

मुख्य जिम्मेदारियाँ–

उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना

ग्राम सभा से सहमति प्राप्त करना

हरित समिति का गठन

पौध संरक्षण में सहयोग

सामुदायिक निगरानी

सामाजिक लेखा-जोखा

14(F) -ग्राम स्तरीय हरित समिति -

ग्राम समिति" गठित की जाएगी।

संरचना

ग्राम प्रधान - अध्यक्ष

पंचायत सचिव - सदस्य

वन विभाग प्रतिनिधि - तकनीकी सदस्य

विद्यालय प्रतिनिधि

SHG प्रतिनिधि

किसान प्रतिनिधि

युवा प्रतिनिधि

मानव जीवन मिशन सेवा संघ - सदस्य सचिव

मुख्य कार्य

स्थल चयन

पौधारोपण योजना

संरक्षण एवं निगरानी

पौध जीवितता का सत्यापन

मासिक समीक्षा

14(G)-किसानों की भागीदारी-

परियोजना के अंतर्गत किसानों को कृषि वानिकी (Agroforestry) मॉडल से जोड़ा जाएगा।

मुख्य गतिविधियाँ–

खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण

फलदार एवं बहुउद्देशीय पौधों का रोपण

वर्षा जल संरक्षण

जैविक खेती को प्रोत्साहन

प्रथम चरण का लक्ष्य: लगभग 200–300 किसानों को जोड़ना।

14(H) -विद्यालय एवं युवा सहभागिता-

विद्यालयों को पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण का केंद्र बनाया जाएगा।

मुख्य गतिविधियाँ–

"एक विद्यार्थी-एक वृक्ष" अभियान

पर्यावरण क्लब

वृक्ष मित्र कार्यक्रम

चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता

पौध संरक्षण अभियान

प्रथम चरण में लगभग 10–15 विद्यालयों तथा 100–150 युवा स्वयंसेवकों को परियोजना से जोड़ा जाएगा।

14(I)-महिला सशक्तिकरण-

महिलाएँ परियोजना की प्रमुख भागीदार होंगी।

मुख्य गतिविधियाँ–

पौध उत्पादन

नर्सरी संचालन

जैविक खाद निर्माण

पौध संरक्षण

फलोद्यान विकास

सामुदायिक जागरूकता अभियान

इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर आय एवं नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे।

14(J) -सरकारी विभागों की भूमिका-

वन विभाग

तकनीकी मार्गदर्शन

प्रजाति चयन

गुणवत्ता निरीक्षण

सामाजिक वानिकी विभाग

पौध उपलब्धता

प्रशिक्षण

कृषि विभाग

कृषि वानिकी

किसान प्रशिक्षण

उद्यान विभाग

फलदार पौध

बागवानी तकनीक

NRLM

SHG क्षमता विकास

मनरेगा

गड्ढा खुदाई

जल संरक्षण कार्य

श्रम आधारित सहयोग

14(K) -CSR एवं विकास भागीदार-

CSR संस्थाओं से निम्न क्षेत्रों में सहयोग अपेक्षित होगा—

पौध एवं ट्री गार्ड

सिंचाई व्यवस्था

सामुदायिक नर्सरी

प्रशिक्षण

डिजिटल मॉनिटरिंग

तीन वर्षों का रखरखाव

पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

10.12 संस्थागत प्रबंधन संरचना

दाता संस्था / CSR / विभाग

↓

परियोजना संचालन समिति

↓

परियोजना निदेशक

↓

तकनीकी, वित्त एवं मॉनिटरिंग टीम

↓

ब्लॉक समन्वयक

↓

ग्राम पंचायत एवं हरित समिति

↓

SHG – किसान - विद्यालय - युवा स्वयंसेवक

↓

स्थानीय समुदाय

14(L-)क्षमता निर्माण-

परियोजना के दौरान नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे–

वैज्ञानिक वृक्षारोपण

पौध संरक्षण

जैविक खाद निर्माण

कृषि वानिकी

जल संरक्षण

मोबाइल आधारित मॉनिटरिंग

वित्तीय एवं अभिलेख प्रबंधन

सामाजिक लेखा-जोखा (Social Audit)

पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु–

ग्राम सभा में प्रगति प्रस्तुतीकरण
पौध जीवितता की समीक्षा
फोटो एवं जियो-टैग रिकॉर्ड
वित्तीय विवरण
स्वतंत्र मूल्यांकन (आवश्यकतानुसार)

14(M) -अपेक्षित सामाजिक प्रभाव -

लगभग 50 स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी।
200–300 किसानों को कृषि वानिकी से जोड़ना।
100–150 युवा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण।
10–15 विद्यालयों में हरित अभियान।
लगभग 2,000–3,000 विद्यार्थियों की सहभागिता।
चयनित ग्राम पंचायतों में हरित समिति का गठन।
पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय स्वामित्व एवं जनभागीदारी को मजबूत करना।

15 -विस्तृत बजट, लागत विश्लेषण एवं वित्तीय योजना-

15(A) प्रस्तावना-

इस परियोजना के प्रथम चरण में 10,000 स्थानीय एवं जलवायु-अनुकूल पौधों का वैज्ञानिक वृक्षारोपण तथा तीन वर्षों तक उनका संरक्षण एवं रखरखाव प्रस्तावित है।
बजट इस प्रकार तैयार किया गया है कि अधिकतम कार्य सरकारी योजनाओं एवं स्थानीय संसाधनों के अभिसरण से किए जा सकें। इससे परियोजना की लागत कम होगी तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।
यह परियोजना एक पायलट मॉडल के रूप में विकसित की जाएगी, जिसकी सफलता के आधार पर इसे भविष्य में 25,000, 50,000 तथा 5,00,000 पौधों तक विस्तारित किया जाएगा।

15(B)- प्रथम चरण का अनुमानित बजट-

(10,000 पौधे)

क्रम. - मद. - अनुमानित लागत(₹)

1-पौध खरीद एवं परिवहन -₹8,00,000

2-गड्ढा खुदाई एवं पौधारोपण-₹6,00,000

3 -पौध सुरक्षा (ट्री गार्ड/फेंसिंग/बांस)
₹12,00,000

4-सिंचाई एवं जल संरक्षण
₹5,00,000

5-तीन वर्षों का रखरखाव
₹10,00,000

6-मॉनिटरिंग, जियो-टैगिंग एवं दस्तावेजीकरण
₹3,00,000

7-प्रशिक्षण, जन-जागरूकता एवं प्रशासनिक व्यय
₹6,00,000
कुल अनुमानित परियोजना लागत : ₹50,00,000 (लगभग पचास लाख रुपये)

15(C)-मदवार विवरण-

(1) पौध खरीद एवं परिवहन - ₹8,00,000
इसमें शामिल होंगे–
प्रमाणित नर्सरी से पौध खरीद
स्थानीय एवं फलदार प्रजातियाँ
पौध परिवहन
गुणवत्ता परीक्षण
पौध टैगिंग एवं वितरण

(2) गड्ढा खुदाई एवं पौधारोपण - ₹6,00,000

इसमें शामिल होंगे–

गड्ढा चिन्हांकन

गड्ढा खुदाई

जैविक खाद

पौधारोपण

प्रारम्भिक सिंचाई

नोट: यदि मनरेगा से श्रम उपलब्ध हो जाए तो इस मद की लागत में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है।

(3) पौध सुरक्षा - ₹12,00,000

सभी पौधों पर ट्री गार्ड लगाने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाएगी।

जैसे–

बाँस के ट्री गार्ड

स्थानीय झाड़ी/काँटेदार सुरक्षा

सामुदायिक फेंसिंग

पौध पहचान टैग

इससे लागत नियंत्रित रहेगी।

(4) सिंचाई एवं जल संरक्षण -

₹5,00,000

मुख्य गतिविधियाँ–

जल टैंकर

पाइप

वर्षा जल संरक्षण

मल्चिंग

आवश्यक स्थानों पर ड्रिप सिंचाई

(5) तीन वर्षों का रखरखाव - ₹10,00,000

इस मद में शामिल होगा–

सिंचाई

निराई-गुड़ाई

जैविक खाद

मृत पौधों का पुनः रोपण

पौध संरक्षण

सामुदायिक निगरानी

(6) मॉनिटरिंग एवं दस्तावेजीकरण - ₹3,00,000

GPS आधारित जियो-टैगिंग

फोटो रिकॉर्ड

मोबाइल आधारित मॉनिटरिंग

प्रगति रिपोर्ट

तृतीय पक्ष निरीक्षण (आवश्यकतानुसार)

(7) प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यय - ₹6,00,000

SHG प्रशिक्षण

किसान प्रशिक्षण

विद्यालय अभियान

युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण

कार्यालय संचालन

लेखा एवं ऑडिट

दस्तावेजीकरण

15(C)-प्रति पौधा औसत लागत-

मद -प्रति पौधा लागत (₹) -पौधा एवं परिवहन
80
गड्ढा एवं रोपण
60
सुरक्षा

120

सिंचाई

50

तीन वर्ष रखरखाव

100

मॉनिटरिंग

30

प्रशासन एवं प्रशिक्षण

60

कुल औसत लागत : लगभग ₹500 प्रति पौधा

15(D)-संभावित वित्तीय स्रोत-

CAMPA

उत्तर प्रदेश वन विभाग

सामाजिक वानिकी विभाग

CSR कंपनियाँ

मनरेगा

जिला प्रशासन

NABARD

NRLM

ग्राम पंचायत

कृषि एवं उद्यान विभाग

जनसहयोग एवं स्थानीय दानदाता

15(E) -वित्तीय प्रबंधन-

परियोजना में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाएगी—

पृथक परियोजना बैंक खाता

डिजिटल भुगतान

नियमित लेखा संधारण

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC)

वार्षिक ऑडिट

मासिक प्रगति रिपोर्ट
फोटो एवं जियो-टैगिंग रिकॉर्ड

15(F)- लागत कम करने की रणनीति-

मनरेगा से गड्ढा खुदाई
सामाजिक वानिकी विभाग से पौध
SHG आधारित स्थानीय नर्सरी
ग्राम पंचायत भूमि का उपयोग
स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता
वर्षा ऋतु में पौधारोपण
स्थानीय प्रजातियों का चयन

15(G)- वित्तीय स्थिरता-

परियोजना समाप्त होने के बाद भी इसकी निरंतरता हेतु SHG आधारित नर्सरी
फलदार वृक्षों से आय
कृषि वानिकी मॉडल
ग्राम पंचायत सहभागिता
CSR के साथ दीर्घकालिक सहयोग
स्थानीय जनसहयोग

15(H) वित्तीय जोखिम एवं समाधान-

जोखिम
समाधान
लागत में वृद्धि
चरणबद्ध कार्यान्वयन एवं प्रतिस्पर्धी खरीद
पौधों की मृत्यु
10% आकस्मिक पौध एवं पुनः रोपण
धनराशि में विलंब

बहु-स्रोत वित्तपोषण

रखरखाव में कमी

SHG एवं ग्राम समिति आधारित निगरानी

अनियमित व्यय

डिजिटल भुगतान एवं नियमित ऑडिट

15(J) -भविष्य की वित्तीय विस्तार योजना-

प्रथम चरण (10,000 पौधे) की सफलता के बाद परियोजना का विस्तार निम्नानुसार प्रस्तावित है–

द्वितीय चरण: 25,000 पौधे

तृतीय चरण: 50,000 पौधे

चतुर्थ चरण: 1,00,000 पौधे

दीर्घकालिक लक्ष्य: बाँदा एवं चित्रकूट जनपदों में 5,00,000 पौधों का सामुदायिक हरित अभियान

प्रत्येक चरण के लिए अलग DPR, बजट एवं वित्तीय स्वीकृति तैयार की जाएगी।

16(A) - परियोजना का चरण -

परियोजना का प्रथम चरण 12 माह की अवधि में 10,000 पौधों के वैज्ञानिक वृक्षारोपण, उनकी जियो-टैगिंग, नियमित मॉनिटरिंग तथा कम से कम 90% जीवितता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। प्रथम चरण की सफलता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परियोजना का चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य पाँच वर्षों में लगभग 5,00,000 पौधों का वृक्षारोपण एवं संरक्षण है।

16(B) -निरीक्षण की समय-सारणी -

प्रथम निरीक्षण

रोपण के 15 दिन बाद

द्वितीय निरीक्षण

रोपण के 30 दिन बाद

नियमित निरीक्षण

प्रत्येक माह (प्रथम वर्ष)

त्रैमासिक समीक्षा

जिला स्तर पर

अर्धवार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन

आवश्यकता अनुसार

वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन

प्रत्येक वर्ष के अंत में

(B)-सफलता के प्रमुख संकेतक -

प्रथम वर्ष के संकेतक-

10,000 पौधों का वैज्ञानिक वृक्षारोपण।

90% या उससे अधिक पौध जीवितता।

चयनित स्थलों पर सफल हरित क्षेत्र का विकास।

सभी पौधों का GPS एवं Geo-tagging।

कम से कम 50 SHG की सक्रिय भागीदारी।

200 से अधिक किसानों की सहभागिता।

20 से अधिक विद्यालयों की भागीदारी।

100 से अधिक युवा हरित स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण।

दीर्घकालिक (5 वर्षीय) संकेतक

लगभग 5,00,000 पौधों का चरणबद्ध वृक्षारोपण।

85–90% औसत पौध जीवितता।

चयनित क्षेत्रों में हरित आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि।

ग्राम पंचायत आधारित स्थायी हरित प्रबंधन प्रणाली का विकास।

16(C) -प्रभाव आकलन -

परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन के माध्यम से किया जाएगा। GIS मैपिंग, Geo-tagging, फोटोग्राफिक साक्ष्य, फील्ड सर्वे एवं स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन के आधार पर पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा।

16(D)- परियोजना ki sthirita -

प्रथम वर्ष की परियोजना पूर्ण होने के बाद भी लगाए गए पौधों का संरक्षण ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, किसानों एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से निरंतर जारी रहेगा। परियोजना के सफल परिणामों के आधार पर आगामी वर्षों में इसका चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा।

16(E)-वित्तीय स्थिरता-

प्रथम चरण की सफलता के आधार पर CSR एवं सरकारी योजनाओं से अतिरिक्त वित्तीय सहयोग प्राप्त करना।
CAMPA, सामाजिक वानिकी, मनरेगा, NRLM एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आगामी चरणों का विस्तार।
हरित निधि (Green Fund) एवं सामुदायिक योगदान को प्रोत्साहित करना।

16(F)-जोखिम एवं सुधारात्मक कार्यवाही-

संभावित जोखिम
सुधारात्मक उपाय
वित्तीय संसाधनों की कमी
परियोजना का चरणबद्ध विस्तार, CSR एवं सरकारी योजनाओं का अभिसरण
17-जोखिम प्रबंधन, निष्कर्ष एवं सहयोग का अनुरोध -

17(A) -बुंदेलखंड में सामुदाय आधारित वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन परियोजना" केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, सूखा, भूजल स्तर में गिरावट, वनावरण की कमी तथा ग्रामीण आजीविका जैसी बहुआयामी चुनौतियों का एक समग्र समाधान प्रस्तुत करती है।
यह परियोजना जनपद बाँदा (नरैनी एवं बिसंडा विकास खंड) तथा जनपद चित्रकूट (कर्वी विकास खंड) में लगभग 1,00,00 देशी एवं फलदार वृक्षों का वैज्ञानिक एवं सामुदाय आधारित

वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेगी।

17(B)-परियोजना के प्रमुख जोखिम -

किसी भी बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम में अनेक प्राकृतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक जोखिम हो सकते हैं। इन जोखिमों की पहचान एवं उनके समाधान की रणनीति पहले से तैयार की गई है।

(1) -कम वर्षा एवं सूखा
संभावित प्रभाव
पौधों की जीवितता में कमी
पौधों की वृद्धि प्रभावित होना

(समाधान)-
वर्षा जल संचयन
ड्रिप सिंचाई।
मल्चिंग।
टैंकर द्वारा सिंचाई।
सूखा सहनशील प्रजातियों का चयन।

(2) पशुओं द्वारा पौधों को नुकसान-
संभावित प्रभाव
पौधों का नष्ट होना।
जीवितता प्रतिशत कम होना।

(समाधान)-
ट्री गार्ड।
काँटेदार झाड़ी सुरक्षा।
ग्राम स्तरीय निगरानी।
सामुदायिक संरक्षण।

(3) वनाग्नि (Forest Fire)

संभावित प्रभाव

बड़े क्षेत्र में पौधों की क्षति।

(समाधान)-

फायर लाइन का निर्माण।

सूखी घास की नियमित सफाई।

ग्रामीणों को प्रशिक्षण।

वन विभाग के साथ समन्वय।

(4) मानवजनित क्षति-

संभावित प्रभाव

पौधों की चोरी।

अवैध कटान।

जानबूझकर नुकसान।

(समाधान)

ग्राम हरित समिति।

CCTV (जहाँ संभव हो)।

जन-जागरूकता।

पंचायत स्तर पर निगरानी।

(5) वित्तीय संसाधनों में विलंब-

संभावित प्रभाव

कार्य प्रभावित होना।

(समाधान)

चरणबद्ध बजट।

CSR एवं सरकारी योजनाओं का अभिसरण।

आकस्मिक निधि (Contingency Fund)।

(6) सामुदायिक सहभागिता में कमी

(समाधान)

नियमित ग्राम सभाएँ।

SHG की सक्रिय भागीदारी।

विद्यालय आधारित अभियान।

"मेरा वृक्ष-मेरी जिम्मेदारी" अभियान।

17(C) -जोखिम न्यूनीकरण रणनीति-

परियोजना में प्रत्येक संभावित जोखिम के लिए पूर्व नियोजित रणनीति अपनाई जाएगी।

मुख्य रणनीतियाँ–

जल संरक्षण संरचनाएँ।

स्थानीय प्रजातियों का चयन।

3 वर्षों तक रखरखाव।

डिजिटल मॉनिटरिंग।

सामुदायिक स्वामित्व।

स्वतंत्र मूल्यांकन।

नियमित सामाजिक लेखा-जोखा।

17(D)-परियोजना की विशिष्ट विशेषताएँ -

यह परियोजना सामान्य वृक्षारोपण कार्यक्रमों से कई मायनों में अलग है–

1,00,00 पौधों का वैज्ञानिक एवं चरणबद्ध रोपण।

90% से अधिक पौध जीवितता का लक्ष्य।

50 स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी।

किसानों के खेतों की मेड़ों पर कृषि वानिकी।

केन एवं बाघैन नदी के तटीय क्षेत्रों का हरित पुनर्स्थापन।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निकट हरित कॉरिडोर का विकास (आवश्यक अनुमतियों के अधीन)।

GPS एवं Geo-tagging आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग।

3 वर्षों तक नियमित रखरखाव।

CSR एवं सरकारी योजनाओं का अभिसरण।

17(E)-परियोजना से अपेक्षित दीर्घकालिक प्रभाव-

परियोजना पूर्ण होने पर–

पर्यावरणीय प्रभाव

1,00,00 वृक्ष विकसित होंगे।

लगभग 50 हेक्टेयर हरित क्षेत्र विकसित होगा।

वनावरण में वृद्धि होगी।

भूजल स्तर में सुधार में योगदान मिलेगा।

जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा।

स्थानीय स्तर पर तापमान में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

सामाजिक प्रभाव

50 स्वयं सहायता समूह सशक्त होंगे।

ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

विद्यालयों में हरित संस्कृति विकसित होगी।

युवाओं में स्वैच्छिक नेतृत्व विकसित होगा।

आर्थिक प्रभाव

हजारों मानव-दिवस का स्थानीय रोजगार सृजित होगा।

कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा।

फलदार वृक्षों से भविष्य में आय प्राप्त होगी।

नर्सरी एवं बाँस आधारित आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।

17(F) - वित्तीय सहायता-

पौध उपलब्ध कराना।

तकनीकी सहयोग।

ड्रिप सिंचाई एवं जल संरक्षण।

ट्री गार्ड।

डिजिटल मॉनिटरिंग।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

स्वतंत्र मूल्यांकन।

दीर्घकालीन रखरखाव।

सामुदायिक आधारित पर्यावरण संरक्षण

धन्यवाद -

संपर्क: 9792481565

प्रस्तावक संस्था-

मानव जीवन मिशन सेवा संघ

ग्राम - उदयपुर, पोस्ट - बदौसा

तहसील - अतर्रा, जनपद - बाँदा, उत्तर प्रदेश - 210202

आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध विस्तार हेतु वन विभाग, CAMPA, CSR कंपनियों, जिला प्रशासन, NABARD, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), सामाजिक वानिकी विभाग, विकास भागीदारों तथा अन्य दाता संस्थाओं से वित्तीय, तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। आपके सहयोग से बुंदेलखंड को हरित, जल-सुरक्षित एवं जलवायु-अनुकूल क्षेत्र बनाने की दिशा में एक प्रभावी एवं स्थायी पहल को सफल बनाया जा सकेगा

प्रस्तुतकर्ता-

ब्रजमोहन

संस्थापक/सचिव।

मानव जीवन मिशन सेवा संघ